(167)

संख्या–1187/2011/01(140)/XXVII(8)/2011

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून::दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

विषयः–जनपद हरिद्वार में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4304/आयु0क0उत्तरा/वाणि0कर/सम्पत्ति–अनु0/2011–12/दे0दून,दिनांक 9.11.2011 का संदर्भ ग्रहण करे का कष्ट करें,जिसमें जनपद हरिद्वार में वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 1557.93 लाख का आंगणन उत्तराखण्ड पेयजल निगम,ऋषिकेश से गठित कराकर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में शासन स्तर पर विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,कुमाऊं जोन,रूद्रपुर द्वारा अपने पत्रांक–मैमों/एडी0क0वा0क0कु0जो0/प0–01/2011–12, दिनांक 5.12.2011 द्वारा ₹ 1225.55 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया। उक्त आगणन का टी0ए0सी0 वित्त से परीक्षण कराये जाने पर औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1160.19 लाख पायी गयी। औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1160.19 लाख के आगणन को व्यय वित्त समिति को अनुमोदन हेतु संदर्भित किया गया,जिस पर व्यय वित्त समिति द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण(टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत ₹ 60.46 लाख) का औचित्य नहीं पाया गया।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,कुमाऊं जोन,रूद्रपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन ₹ 1225.55 लाख में से सामुदायिक भवन के निर्माण को शामिल न करते हुये शेष कार्यो पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पायी गई औचित्यपूर्ण लागत ₹ 1091.73 लाख (सिविल निर्माण कार्यो की लागत ₹ 1021.99 लाख + अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य ₹ 69.74 लाख) रू0 दस करोड़,इक्यानबे लाख,तिहेत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किए जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हागी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से संबन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लाई जाय।
5– आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबन्धित परियोजना प्रबन्धक तथा अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
10– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.3.2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
11– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006)दि0 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800–अन्य भवन–00–आयोजनागत–09 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जाएगा।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–182/2011/01(140)/XXVII(8)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार(लेखा प्रथम),ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2–प्रमुख सचिव,पेयजल विभाग,उत्तराखण्ड शासन
3– प्रमुख सचिव,राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड शासन।
4–आयुक्त,कर,गढवाल,मण्डल,पौड़ी।
5–जिलाधिकारी,हरिद्वार।
6–एडिशनल कमिश्नर,कुमाऊं जोन,रूद्रपुर।
7–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,देहरादून/हरिद्वार।
8–निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9–ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य0),वाणिज्य कर,हरिद्वार।
10–परियोजना प्रबन्धक,निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम,ऋषिकेश।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव